(1.6)

Form-I

(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No----------------- *Dated-02-03-2015*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.6584 hactares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Palrichina-Mallidhana-Naini motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Palrichhina and Naini** Village in **Kafligair Tehsil.**

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.6584 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enclose – as above

Signature

Dated 02-03-2015

(Bhupal Singh Manral,)
District Collector
Seal
(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में पालड़ीछीना मल्ली ढाना –नैनी मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जोशीगांव(?)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैणी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.980 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.494 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.1844 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.6584 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जोशीगांव द्वारा दिनांक 24.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जोशीगांव एवं नैणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

गीता देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
जनौटी पालडी
वि० ख०
जिला-बागेश्वर

ह0 /
ग्राम सचिव

गीता देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत जोशी पालडी
पो0 जनौटी पालडी वि0ख0–बागेश्वर

ह0 /
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

(1.6)

प्रपत्र—23.1

दिनाक...24.2.15...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...[illegible] नैनी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पूरन लाल - नैनी	पूरन लाल
2-	श्रीकृष्ण चन्द्र तिवाड़ी "	श्री कृष्ण [illegible]
3-	रेवाधर तिवाड़ी	श्री रेवाधर तिवारी
4-	गणेश दत्त	गणेश दत्त तिवाड़ी
5-	नन्दाबल्लभ	[illegible]
6-	माधवानन्द	माधवानन्द
7-	देवदत्त	दीप चन्द
8-	दीप चन्द्र तिवाड़ी	देवी दत्त
9-	पिताम्बर दत्त	पीताम्बर
10-	हरीश लाल	हरीश लाल
11-	गिरीश लाल	गिरीश लाल
12	जीवन लाल	जीवन लाल
13	ललित चन्द्र तिवाड़ी	Lalit
14	पूरण चन्द्र तिवाड़ी	[illegible]
15	महेश चन्द्र तिवाड़ी	महेशचन्द्र तिवाड़ी
16	उमेश चन्द्र तिवारी	[illegible]
17	नन्दा बल्लभ	[illegible]
18	मोहन चन्द्र	मोहन चन्द्र

1.6

प्रपत्र–23.1

दिनाक 24.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जोशीपालड़ी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गिरीश लाल - जोशी पालड़ी	गिरीश लाल
2-	राम प्रसाद -	रामप्रसाद
3-	चन्द्र लाल -	[signature]
4-	कुन्दन लाल -	कुन्दन लाल
5-	नयन	[signature]
6-	हर सिंह	हर सिंह
7-	दीवान सिंह	[signature]
8-	मोहन लाल	[signature]
9-	तारा चन्द्र तिवारि	[signature]
10-	शेखर चन्द्र तिवारी	[signature]
11-	कलावती देवी	[signature]
12-	दया कृष्ण जोशी	कलावती देवी
13	गोकुलानन्द जोशी	D K Joshi
14-	राजेन्द्र प्रसाद मल्लाजना -	राजेन्द्र प्रसाद

(1.6)

प्रपत्र–23.1

दिनाक 24.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जोशीपाल्डी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरीश लाल - जोशी पाल्डी	हरीश लाल
2	महेश प्रसाद -	महेश प्रसाद
3	श्याम लाल - मल्ली दाना	श्याम लाल
4	जगदीश प्रसाद "	जगदीश प्रसाद
5	भगवत प्रसाद "	[illegible]
6	दीपक कुमार "	दीपक कुमार
7	कुन्दन प्रसाद "	[illegible]
8	गोपाल राम "	[illegible]
9	राजेन्द्र प्रसाद "	रजेन्द्र प्रसाद
10	बंशी लाल "	[illegible]
11	दीपक कुमार "	दीपक
12	नवीन चन्द्र "	Naveen Chy
13	संजय कुमार "	S Kumar
14	विहारी लाल झिरौली प्राधान	
15	मनोज कुमार - "	मनोज कुमार
16	धीरज कुमार - "	[illegible]

(1.6)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में पालड़ीछीना मल्ली ढाना –नैनी मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैणी मोटर मार्ग मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.980 है0 आरक्षित वनभूमि, 1.494 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 1.1844 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 4.6584 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 28.02.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री फिचाराम चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री फिचाराम चोहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमती गीता देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैणी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.6584 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैणी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.6584 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–23.3

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3--	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 28-02-2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 28-02-2015 द्वारा पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैणी मोटर मार्ग निर्माण के लिए 4.6584 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैणी मोटर मार्ग निर्माण के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैणी मोटर मार्ग निर्माण के लिए 4.6584 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैणी मोटर मार्ग निर्माण के लिए 4.6584 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में पालड़ीछीना मल्ली ढाना –नैनी मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैणी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.6584 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 02-03-2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाइन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

(1.6)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में पालड़ीछीना मल्लीढाना– नैणी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित पालड़ीछीना–मल्लीढाला–नेणी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.6584 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/ 98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

दिनांक 02-03-2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर